विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-20 का उत्तर

प्रश्न

20 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उप जिलाधिकारी/तहसीलदार स्तर पर तहसील संडीला, जनपद-हरदोई में दिनांक 31 अगस्त, 2024 तक कितने वाद किस-किस प्रकार के लम्बित है?

उत्तर

दिनांक 31.08.2024 तक न्यायालय उपजिलाधिकारी सण्डीला में लम्बित राजस्व वादों का विवरण निम्नवत् हैः-

धारा	सं0
38	49
24	351
80	19
116	213
134	24
35(2)	47
144	108
67क	15
212(2)	13
225	05
104/105	03
76	01
योग-	848

दिनांक 31.08.2024 तक न्यायालय उपजिलाधिकारी न्यायिक सण्डीला में लम्बित राजस्व वादों का विवरण निम्नवत् हैः-

धारा	सं0
38	29
24	386
80	5
116	134
134	51
35(2)	7
144	80
67क	8
212(2)	0
225	-
104/105	-
117	11

योग-	711

दिनांक 31.08.2024 तक न्यायालय तहसीलदार सण्डीला में लम्बित राजस्व वादों का विवरण निम्नवत् हैः-

धारा	सं0
34	1029
67	706
योग-	1735

(ख) उक्त लम्बित वादों के निस्तारण की राजस्व विभाग की नियमावली में क्या अवधि निश्चित की गयी है?

राजस्व संहिता 2006 एवं राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अनुसार राजस्व वादों के निस्तारण की अवधि निम्नवत् निर्धारित की गयी हैः-

उपजिलाधिकारी स्तर के वादः-

धारा-24	3 माह
धारा-80	45 दिन
धारा-116	6 माह

तहसीलदार स्तर के वादः-

धारा-34	धारा-67
धारा-34 पंजीकृत विक्रय-पत्र के आधार पर योजित अविवादित वादों में 45 दिन तथा विवादित वादों में 90 दिन में निस्तारण किया जाना नियमावली में अंकित है।	धारा-67 में योजित वादों को निस्तारण किये जाने की अवधि 90 दिन नियमावली में अंकित है।

(ग) लम्बित वादों की निश्चित समयावधि में निस्तारण न किए जाने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित कराते हुए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करायेंगे?

जी नहीं।

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

लम्बित वादों का मानक के अनुसार यथा सम्भव निश्चित समयावधि में निस्तारित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने, राजस्व अधिकारियों की निर्वाचन तथा

अन्य आवश्यक प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता तथा वर्तमान में तहसील में तहसीलदार न्यायिक का पद रिक्त होने के कारण वादों के समयान्तर्गत निस्तारण में कठिनाई होती है।

राजस्व अधिकारियों के न्यायिक कार्यों का आंकलन निर्धारित मासिक लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण, नये दाखिल वादों के सापेक्ष अधिक वादों का निस्तारण, सबसे अधिक अवधि से लम्बित वादों का निस्तारण तथा विभिन्न श्रेणी के वादों के निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधि में निस्तारण आदि मानकों के आधार पर समग्रता से किया जाता है। उपरोक्त मानकों को समग्रता से देखते हुए वादों का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।